(53)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 2010/फाल्गुन 6, 1931
No. 58] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2010/PHALGUNA 6, 1931

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2010

सं. एल-7/186(201)/2009-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 (2) (द) के साथ पठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केंदीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत से टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत से टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन तथा शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2010 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन— मूल विनियम के विनियम 8 में, विद्यमान खंड (2) को खंड (3) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा तथा खंड (2) के रूप में निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,

(क) पूंजी लागत तथा वर्ष 2010-11 के लिए लागू अन्य संनियमों पर आधारित सौर पी.वी. परियोजनाओं के लिए अवधारित जेनेरिक टैरिफ वर्ष 2011-12 के दौरान ऐसी परियोजनाओं को भी लागू; और

(ख) पूंजी लागत तथा वर्ष 2010-11 के लिए अन्य संनियमों पर आधारित सौर थर्मल परियोजनाओं के लिए अवधारित जेनेरिक टरिफ वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान ऐसी परियोजनाओं को भी,

इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू होगा कि (i) इस खंड में यथा उल्लिखित सौर पी.वी. परियोजनाओं तथा सौर थर्मल परियोजनाओं की बाबत उर्जा क्रय करार पर 31 मार्च, 2011 को या उससे पूर्व हस्ताक्षर किए गए हैं तथा (ii) उर्जा क्रय करार में सम्मिलित संपूर्ण क्षमता, सौर पी.वी. परियोजनाओं की बाबत 31 मार्च, 2012 को या उससे पूर्व तथा सौर थर्मल परियोजनाओं की बाबत 31 मार्च, 2013 को या उससे पूर्व आरंभ हो गई हो।"

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/09-असा.]

पाद टिप्पण : मूल विनियम तारीख 17 सितम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे।